

UPSC CSE 2014 MAINS PAPER 7 DECEMBER 19, 2014 LAW OPTIONAL PAPER II QUESTION PAPER | C-DRN-N-N-N-BXB

विधि प्रश्न-पत्र—II LAW Paper—II

निर्धारित समय : तीन घंटे Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250 Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पहें। दो खण्डों में कुल आठ प्रश्न दिए गए हैं जो हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। उम्मीदवार को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू॰सी॰ए॰) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्नों की शब्द सीमा, जहाँ उल्लिखित है, को माना जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are EIGHT questions divided in Two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in chronological order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

C-AMN N-N-NBYR



खण्ड—अ SECTION—A

Q. 1 निम्नित्सित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। विधि उपबंधों और न्यायिक निर्णयों की सहायता के साथ उत्तर दें :

Answer the following in about 150 words each. Support your answers with legal provisions and judicial pronouncements : $10 \times 5 = 50$

- Q. 1(a) प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से क्या अभिप्रेत है ? प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आधार कौनसे सामान्य सिद्धांत हैं ?
 - What is meant by right of private defence? What are the general principles which form the basis of right of private defence?
- Q. 1(b) अपराध के विभिन्न चरणों का विवेचन कीजिए। भारतीय दंड संहिता के अधीन प्रयत्न का चरण किस प्रकार दंडनीय है ?
 - Discuss various stages of crime. How is the stage of attempt punishable under the Indian Penal Code?
- Q. 1(c) "सूत्र 'स्वेच्छया जोखिम को ग्रहण करना' है, 'जोखिम का ज्ञान' नहीं।" समझाइए।
 "The maxim is 'volenti non fit injuria' and not 'scienti non fit injuria'." Explain. 10
- Q. 1(d) "अपकृत्य सिविल दोष का एक प्रकार है।" इस परिभाषा का परीक्षण कीजिए और इसमें अन्य लक्षण जोड़कर इसको व्यापक बनाइए।
 - "A tort is a specie of civil wrong." Examine this definition and add other features to make it comprehensive.
- Q. 1(e) "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 भारत में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण विधान है।" विवेचन कीजिए।
 - "Prevention of Corruption Act, 1988 is an important legislation to safeguard democracy in India." Discuss.
- Q. 2(a) अपराध के घटक तत्व कौनसे हैं ? सुसंगत निर्णय विधि के साथ आपराधिक मन:स्थिति का सविस्तार विवेचन कीजिए।
 - What are the constituent elements of crime? Elaborately discuss mens rea with relevant case law.
- Q. 2(b) अपनी पत्नी के शरीर के अमर्म (नॉन वाइटल) भागों पर बार-बार लातों से A ने हमला किया। वह भूमि पर गिर गई और मूर्छित हो गई। ऐसा आभास देने के लिए कि उसने आत्महत्या की थी A ने मूर्छित शरीर को उठा लिया और उसको मृत समझकर एक रस्सी से गर्दन बांध कर लटका दिया। शव परीक्षण से यह साबित हो गया कि मृत्यु गर्दन बांध कर लटकाने से हुई।

न्यायिक निर्णयों की सहायता से A के आपराधिक दायित्व का विवेचन कीजिए।



'A' assaulted his wife by kicking her repeatedly on non-vital parts of her body. She fell down and became unconscious. In order to create an appearance that she had committed suicide he took up the unconscious body and thinking it to be a dead body hung it up by a rope. The post mortem examination showed that death was due to hanging.

With the help of decided cases determine the culpability of A.

20

- Q. 2(c) "किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।" समझाइए और दृष्टांत दीजिए।
 - "The abetment of the illegal omission of an act may amount to an offence although the abettor may not himself be bound to do that act." Explain and illustrate.
- Q. 3(a) "आपराधिक न्यासभंग और छल दो भिन्न अपराध हैं जिनमें सामान्यतः बेईमानी का आशय होता है परंतु मूल संकल्पना में वे आपस में ग़ैरमिलनसार और अलग हैं।" निर्णय विधि की सहायता से समझाइए।
 - "Criminal breach of trust and cheating are two distinct offences generally involving dishonest intention but mutually exclusive and different in basic concept."

 Explain with the help of decided cases.
- Q. 3(b) "भारतीय दंड संहिता की धारा 304-क के अधीन उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु करने और धारा 304 के अधीन आपराधिक मानव-वध जो हत्या नहीं है के बीच अंतर सूक्ष्म है, पर इसकी अनदेखी करने पर गंभीर अन्याय हो सकता है।" समझाइए।
 - "Distinction between death caused by rash or negligent act under section 304-A and culpable homicide not amounting to murder under section 304 of the Indian Penal Code is fine, but if overlooked, can result in grave injustice." Discuss.
- Q. 3(c) "यह निर्णय करने के लिए कि क्या योगदायी उपेक्षा में शिशु का दायित्व है उसकी आयु पर विचार करना आवश्यक है।"

विवेचन कीजिए और निर्णय विधि का संदर्भ दीजिए।

"The age of a child must be considered in deciding whether it has been guilty of contributory negligence."

Discuss and refer to case law.

10

Q. 4(a) "कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्चंतम न्यायालय के निर्णय को यद्यपि उलटा नहीं गया है, तथापि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए इसका बल पर्याप्त कम कर दिया गया है।" स्पष्ट कीजिए। "Although the decision of the Supreme Court in Kasturi Lal v. State of U.P. has not been overruled as such, yet for all practical purposes its force has been considerably reduced." Elucidate.



Q. 4(b) A की पत्नी W विजाक्त एपीडर्मल नेक्रोलिसिस की बीमारी से ग्रसित थी। चिकित्सक D से परामर्श करने पर उसने देर तक कार्य करने वाली कॉर्टिको स्टिरॉयड 'डेपोमेड्रॉल' की 80 मिलिग्राम की सुई प्रत्येक दिन दो बार लगाना निश्चित किया। इस औषधि के लेने के पश्चात् भी W का स्वास्थ्य खराब होता ही रहा और एक सप्ताह के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। विशेषज्ञ की राय पर यह मालूम हुआ कि D के द्वारा लागू की गई चिकित्सा प्रणाली चिकित्सीय सोच की किसी भी विचारधारा से समर्थित नहीं है और यह स्टिरॉयड के उपयोग के संबंध में मूल परिसंकट की निरा अज्ञानता में है। अपनी पत्नी W की मृत्यु के लिए 75 लाख रुपये की मांग करते हुए A ने उपभोक्ता मंच में परिवाद दाखिल किया। उपभोक्ता मंच की अधिकारिता पर D ने आपित की और अपनी कोई उपेक्षा न होने का तर्क भी दिया। निर्णय कीजिए।

W, wife of A was diagnosed to be suffering from toxic Epidermal Necrolysis. Doctor D was consulted who prescribed a long acting Cortico steroid 'Depomedrol' injection at a dose of 80 mg twice daily. Despite administration of this medicine her condition deteriorated rapidly and she died within a week. On expert opinion, it was found that the line of treatment followed by D is not supported by any school of medical thought and is in sheer ignorance of basic hazard relating to use of steroids. A files a complaint in Consumer Forum claiming Rupees 75 lakhs as damages for death of his wife W. D objects to the jurisdiction of the Consumer Forum and also pleads lack of negligence on his part. Decide.

20

Q. 4(c) "मानहानि के अपकृत्य के सभी मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि वादी की ख्याति की हानि हुई हो।" समझाइये और दृष्टांत दीजिए।

"It is not necessary that in all cases of tort of defamation there must be a loss of reputation of the plaintiff." Explain and illustrate.

खण्ड—ब

SECTION-B

Q. 5 निम्निलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो प्रत्येक 150 शब्दों से अधिक में न हों। अपने उत्तर के समर्थन में विधिक उपबंधों और विनिश्चित मामलों का उल्लेख कीजिए:

Answer the following (answer to each part must not exceed 150 words). Support your answer with relevant legal provisions and decided cases: $10 \times 5 = 50$

Q. 5(a) "यदि किसी संविदा का भंग किया गया हो, तो विधि प्रयास करेगा कि जहाँ तक धन का सामर्थ्य है, क्षितग्रस्त पक्ष को ऐसी स्थिति में स्थापित कर दिया जाये कि मानो संविदा का पालन कर लिया गया हो।"

उपरोक्त कथन को स्पष्ट कीजिए और कोर्ट द्वारा नुकसानी (डैमेजैस) के आकलन के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत पर चर्चा कीजिए।

G-DRN-N-NBXB

.



If a contract is broken, the law will endeavour so far as money can do it, to place the injured party in the same position as if the contract had been performed.

Explain the above statement and discuss the principle court follows for assessment of damages.

- Q. 5(b) "साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कार्यविधि और अर्हताएं न्याय के स्तरों का अनुरक्षण करने के लिए प्रस्तुत की गई हैं।" टिप्पणी कीजिए।

 "The procedure and qualifications for appointment of chairperson and members of Cyber Appellate Tribunal have been introduced to keep up the standards of Justice." Comment.
- Q. 5(c) न्यायनिर्णयन की एक वैकल्पिक विधि के रूप में, माध्यस्थम् पक्षकारों को, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन पक्षकारों के द्वारा कोर्ट की पहुँच के कठोरतापूर्वक नियंत्रण के तथ्य को ध्यान में न रखते हुए भी, अधिकांशत: स्वीकार्य है। स्पष्ट कीजिए।

 Arbitration, as an alternate method of adjudication is acceptable to parties largely irrespective of the fact that access to court by the parties has been curbed drastically under the Arbitration and Conciliation Act, 1996. Explain.
- Q. 5(d) 'मुनाफे के आपस में बांट लेने' से 'पारस्परिक उत्तरदायित्व' तक भागीदारी की वास्तविक संकल्पना कौक्स वी. हिकमैन प्रकरण (केस) में विनिश्चय का परिणाम है। विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।

 The actual concept of partnership from 'people sharing the profit' to 'mutual responsibility' was the outcome of the decision in Cox V. Hickman case. Elaborate.
- Q. 5(e) "मालिक के प्रति सब-एजेंट का दायित्व, कपट और जानबूझकर किए गए दोष को छोड़कर, प्रत्यक्ष नहीं होता है।" कारण बताते हुए स्पष्ट कीजिए।

 "The liability of sub-agent towards principal is not direct, except in case of fraud and wilful wrong." Explain giving reasons.
- Q. 6(a) ऐक्स एण्ड कंपनी ने अपने प्रास्पेक्टस में प्रस्तुत किया कि A, B और C कंपनी के निदेशक होंगे। यह सही था और इसके आधार पर P और Q ने शेयरों के लिए आवेदन किया। परंतु, आबंटन किए जाने से पहले निदेशकों में परिवर्तन किए गए। क्या P और Q को किए गए आबंटन उनकी पसंद के अधीन हैं, या कि निदेशकों में परिवर्तन के कारण वे आबंटन रद्द माने जाएंगे ? चर्चा कीजिए। X and Co. in its prospectus represented that A, B and C would be the directors of the company. This was true and on the basis of this P and Q applied for shares. However, before the allotment took place, there were changes in directors. Is the allotment of P and Q subject to their choice or it stands cancelled due to change in directors? Discuss.

10



Q. 6(b) 'ख', जो एक बैंक में रु. 1,600 के मासिक वेतन पर नियुक्त है, के सदाचरण (गुड़ कंडक्ट) के लिए 'क' प्रतिभू (श्योरटी) देता है। इसके तीन महीने के बाद जब बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है, 'ख' रु. 1,500 के मासिक वेतन को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाता है। इसके दो महीने के पश्चात् पाया जाता है कि 'ख' सारी अवधि के दौरान, नकदी का दुर्विनियोग (मिसऐप्रोप्रिएशन) करता रहा है। भारतीय विधि के अधीन, प्रतिभू के रूप में, 'क' का क्या दायित्व है ?

A, stands as a surety for the good conduct of B, who is employed in a Bank on a monthly salary of Rs. 1,600. Three months after when the financial position of the bank deteriorated B, agreed to accept a monthly salary of Rs. 1,500. Two months after, it is discovered that B has been misappropriating cash all through. What is the liability of A as surety under the Indian Law?

Q. 6(c) भारत में न्यायपालिका पक्षपातरिहत है, अतएव उसको आंतरिक या बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसके प्रकाश में, चर्चा कीजिए कि मीडिया किस हद तक अपनी सीमा का उल्लंघन करने और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है।

Judiciary in India is impartial, hence can not be influenced by internal or external factors.

In the light of this discuss how far media transgresses its limit and attempts to influence the judicial process.

Q. 7(a) कापीराइट कलाकार, लेखक, फिल्म निर्माता का अधिकार है, जिसने अपने कलात्मक कौशलों के उपयोग के द्वारा एक कृत्य का सृजन किया है। कापीराइट के अतिलंघन, विशेषकर वीडियो-चोरी से संबंधित अतिलंघन, का और विधि के अधीन उपलब्ध उपचारों का परीक्षण कीजिए।

"Copyright is the right of the artist, author, producer of a film who have created a work by use of their artistic skills." Examine infringement of copyright particularly relating to video piracy and the remedies available under the law.

Q. 7(b) "'लोक न्यास' के सिद्धांत ने, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने उसको प्रतिपादित किया है, भारत में पर्यावरण के संरक्षण के एक उपकरण के तौर पर काम किया है।" चर्चा कीजिए।

The doctrine of "Public Trust" as propounded by Supreme Court has worked as an instrument for protection of Environment in India. Discuss.

Q. 7(c) उपभोक्ता संरक्षण की विस्तारशील विधि में, 'क्रेता सावधान रहे' (कैविएट ऐम्पटर) के नियम की परिधि को स्पष्ट कीजिए।

Explain the scope of rule of "Caveat Emptor" in the expanding law of consumer protection.

15

Q. 8(a) 'प्रतिस्पर्धा न करने का अधिकार' एक ऐसा अधिकार है जिसका उद्देश्य फर्म कहलाने वाले लघु समूहों के माध्यम से कारोबार की प्रोन्नति करना है। स्पष्ट कीजिए।

"Right not to compete" is a right meant for promoting business through small groups called firms. Explain.

www.prepp.in



- Q. 8(b) प्रतीत होता है कि विकल्पी विवाद समाधान के एक तरीके के तौर पर, लोक अदालतें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही हैं, जिनके लिए उनका निर्माण किया गया था। टिप्पणी कीजिए। "By and large Lok-Adalats have failed in achieving the objects for which they were created." Comment. And also suggest some measures to make this institution more effective.
- Q. 8(c) साइबर आतंकवाद एक सुव्यवस्थित सीमापार आपराधिक कार्य है। अतएव, संभव है कि वैश्विक विधि द्वारा समर्थित देशीय विधि, संयुक्त रूप से इस समस्या का समाधान निकाल पाए। चर्चा कीजिए। Cyber-terrorism is a well organised transborder criminal act, hence a combined domestic law supported by a Global law may help to address the problem. Discuss.

